क्रम-संख्या—254

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-4।

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

17

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 10 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 19, 1924 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1714/सत्रह—वि—1—1 (क)-13-2002

लखनऊ, 10 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2002 पर दिनांक 9 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2002)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायगा।

(2) धारा 2, 3, 4 और 5 दिनांक 21 जून, 2002 को, धारा 9 दिनांक 18 जुलाई, 2002 को धारा 6, धारा 7, धारा 8 और धारा 10, दिनांक 20 जुलाई, 2002 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी तथा शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122 ख में,—

(क) उपधारा (3) में, शब्द "तीन मास" के स्थान पर शब्द "तीस दिन" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (4 च) में,—

(एक) शब्द और अंक "3 जून, 1995" के स्थान पर शब्द और अंक "1 मई, 2002" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द और अंक "यह समझा जायगा कि उसे वह भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है।" के स्थान पर शब्द और अंक "उसे वह भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी जायगी और उसके लिये उस भूमि में असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में अपने अधिकारों की घोषणा के लिये कोई वाद संस्थित करना आवश्यक न होगा।" रख दिये जायेंगे।

धारा 123 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 123 में उपधारा (1) में शब्द और अंक "3 जून, 1995" के स्थान पर शब्द और अंक "1 मई, 2002" रख दिये जायेंगे।

धारा 157-कक का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 157-कक में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि के अन्तरिती को, उसके पक्ष में अन्तरण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे पर भूमि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।"

धारा 157—खख का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 157-खख में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि के अन्तरिती को, उसके पक्ष में अन्तरण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे पर भूमि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।"

धारा 195 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 195 में शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "तहसीलदार" रख दिया जायगा।

धारा 197 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 197 में शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "तहसीलदार" रख दिया जायगा।

धारा 198 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 198 में,

(क) उपधारा (4) में, शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(4-क) कलेक्टर स्वप्रेरणा से या किसी क्षुब्ध व्यक्ति के आवेदन पर, उपधारा (4) के अधीन किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के अभिलेख को, जिसे परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा विनिश्चित किया गया हो, ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य से स्वयं को संतुष्ट करने के लिए मगा सकता है और यदि यह प्रतीत होता है कि ऐसे परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर ने—

(एक) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नहीं है ; या

(दो) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है जो इस प्रकार निहित है; या

(तीन) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कार्य किया है;

तो कलेक्टर मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे और इस उपधारा के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा ;

(ग) उपधारा (7) में शब्द ''कलेक्टर'' के स्थान पर शब्द ''परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर'' रख दिये जायंगे;

(घ) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(8) उपधारा (4) के अधीन परगने के इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, उपधारा (4-क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।''

धारा 198-क का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 198-क में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :–

''(1-क) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां असिस्टेन्ट कलेक्टर, उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे व्यक्ति को निदेश देगा कि वह ऐसी क्षतिपूर्ति, जिसे वह भूमि की स्थिति और गुणवत्ता और ऐसे अन्य कारकों, जिनका उक्त विषय पर प्रभाव पड़ सकता है, पर विचार करते हुए उचित समझे, प्रदेशनगृहीता को दे :

प्रतिबन्ध यह है कि क्षतिपूर्ति की धनराशि प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर पांच हजार रुपये से कम और पन्द्रह हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(1-ख) उपधारा (1-क) के अधीन असिस्टेन्ट कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष ऐसी रीति से जैसा विहित की जाय, एक अपील प्रस्तुत कर सकता है और कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा।

(1-ग) यदि उपधारा (1-क) के अधीन असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा, या उपधारा (1-ख) के अधीन अपील किये जाने पर कलेक्टर द्वारा, किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिये निर्देशित किये जाने पर, वह यथास्थिति, असिस्टेन्ट कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नियत समय के भीतर उसका भुगतान करने में असफल रहता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायगी और उसका भुगतान प्रदेशनगृहीता को किया जायेगा।''

धारा 333 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 333 में, उपधारा (1) में, शब्द ''किसी ऐसे वाद या कार्यवाही के अभिलेख को मगां सकता है'' के पूर्व शब्द ''धारा 198 की उपधारा (4-क) के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न'' बढ़ा दिये जायंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2002 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2002, उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2002

निरसन और अपवाद

11–(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश 2002, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 एद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए०बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को संशोधित कर निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :–

(1) धारा 122-ख के अधीन ग्राम सभा या किसी स्थानीय प्राधिकरण में निहित भूमि पर अनधिकृत अध्यासन हटाये जाने की दृष्टि से कारण बताओ नोटिस की अवधि तीन मास से कम करके तीस दिन किया जाय ;

(2) धारा 122-ख की उपधारा (4-च) में यह व्यवस्था है कि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई खेतिहर मजदूर धारा 117 के अधीन गांव सभा में निहित किसी भूमि (जो धारा 132 में उल्लिखित भूमि न हो) को 3 जून, 1995 से पूर्व अध्यासित करके उस पर काबिज है और उक्त दिनांक से पूर्व उसके द्वारा भूमिधर सीरदार या असामी के रूप में धृत भूमि, यदि कोई हो, सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि 1.26 हेक्टेयर से अधिक नहीं है, तो ऐसे मजदूर के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलेक्टर द्वारा उक्त धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और यह समझा जायगा कि उसे वह भूमि असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है। उक्त दिनांक को 3 जून, 1995 से बढ़ाकर 1 मई, 2002 किया जाय।

(3) धारा 123 में व्यवस्था है कि यदि धारा 122-ग की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने धारा 122-ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भूमि पर या खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर कोई मकान बना लिया हो और ऐसा मकान 3 जून, 1995 को अस्तित्व में रहा हो, तो ऐसे घर का स्थल धारा 122-ग की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भूमि की दशा में, घर के स्वामी के पास बना रहेगा और खातेदार द्वारा धृत भूमि की दशा में, ऐसे घर का स्थल खातेदार द्वारा घर के स्वामी में व्यवस्थित किया हुआ समझा जायगा। उक्त दिनांक को 3 जून, 1995 से बढ़ाकर 1 मई, 2002 किया जाय।

(4) क्रमशः धारा 157-कक या धारा 157-खख के अधीन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी अन्तरिती द्वारा उसके पक्ष में किसी भूमि के अन्तरण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व, भूमि के अन्तरण पर रोक लगाई जाय।

(5) कतिपय परिस्थितियों में परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर को धारा 195 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भूमि को स्वयं किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा 197 में निर्दिष्ट किसी भूमि को किसी व्यक्ति को असामी के रूप में उठा सकने के लिए सशक्त किया जाय।

(6) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित पूर्त संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं को धारा 195 और 197 के अधीन भूमि को उठाने में व्यक्तियों के अधिमान-क्रम में सम्मिलित किया जाय।

2–चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 जून, 2002 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

3–उपर्युक्त अधिनियम की धारा 198-क में ग्राम सभा के अन्तरिती या सरकारी पट्टेदार को असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा ऐसे बल का, जिसे वह आवश्यक समझे, प्रयोग करके कब्जे का प्रत्यावर्तन करने और ऐसे व्यक्तियों को, जो बेदखल की गयी भूमि पर पुनः अध्यासन करते हैं, ऐसी अवधि, जो दो वर्ष तक हो सकती है, के लिए कारावास का दण्ड देने और ऐसे जुर्माने से भी, जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित करने की व्यवस्था है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया था कि उक्त व्यवस्था के बावजूद भारी संख्या में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़े हुए व्यक्तियों को कब्जे का प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सका। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि उक्त धारा को संशोधित कर यह व्यवस्था की जाय कि जहां कोई व्यक्ति बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां असिस्टेंट कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को निदेश देगा कि वह ऐसी क्षति पूर्ति, जो, जैसा वह उचित समझे, प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर पांच हजार रुपये से कम और पन्द्रह हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, प्रदेशनगृहीता को दे। असिस्टेन्ट कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत कर सकता है। जिसका आदेश अंतिम होगा। यदि कोई व्यक्ति असिस्टेन्ट कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अपील में निर्देशित क्षतिपूर्ति का भुगतान नियत समय के भीतर नहीं करता है तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जायगी।

4–चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और ऊपर पैरा 3 में निर्दिष्ट विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2002 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

5–भूमि प्रबन्धक समिति को धारा 195 और 197 के अधीन अधिकार होगा कि वह परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन से धारा 132 में उल्लिखित भूमि से भिन्न किसी भूमि को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में और धारा 132 में उल्लिखित किसी वर्ग में पड़ने वाली किसी भूमि के असामी के रूप में किसी व्यक्ति को स्वीकार करे। किसी व्यक्ति को किसी भूमि को स्वीकार करने में धारा 198 में दी गयी वरीयता के क्रम का पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया कि उक्त उपबन्धों के बावजूद भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किये गये अधिकांश आवंटन या पट्टे सामान्यतः विवादित हो जाते हैं। और आवंटियों को कलेक्टर के समक्ष मुकदमा दाखिल करना पड़ता था और यदि उन्हें न्याय या भूलों का प्रतितोष नहीं प्राप्त होता था तो उन्हें अपर आयुक्त, आयुक्त या राजस्व परिषद के समक्ष अपील या पुनरीक्षण दाखिल करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें आर्थिक और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित करके किसी भूमि में किसी व्यक्ति के प्रवेश के लिये पूर्व अनुमोदन प्रदान करने हेतु परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के स्थान पर तहसीलदार को और किसी आवंटन या पट्टे को निरस्त करने के लिये कलेक्टर के स्थान पर परगना के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर को सशक्त किया जाय।

6–चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और ऊपर पैरा 5 में निर्दिष्ट विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2002 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

7–तत्पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अधिनियम में निम्नलिखित से सम्बन्धित संशोधनों को निकाल दिया जाय :–

(क) धारा 123 की उपधारा (2) में संशोधन कर किसी खातेदार द्वारा धृत भूमि पर मकान बनाने की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी ;

(ख) धारा 195 में उपधारा (2) और धारा 197 में उपधारा (3) बढ़ाकर परगने के इंन्चार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर को स्वयं किसी व्यक्ति को धारा 195 के अधीन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में या धारा 197 के अधीन असामी के रूप में उठा सकने के लिये सशक्त करने सम्बन्धी ;

(ग) धारा 198 की उपधारा (1) में खण्ड (गग) बढ़ाकर और खण्ड (ज) प्रतिस्थापित कर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किसी पूर्त संस्था और किसी शैक्षणिक संस्था को धारा 195 या धारा 197 के अधीन भूमि उठाने के अधिमान-क्रम में रखे जाने सम्बन्धी"

8–यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को उपर्युक्त संशोधनों के साथ प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1714 (2)/XVII-V-1–1 (KA)–13-2002

Dated Lucknow September 10, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Jamindari Vinash Aur Bhumi Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor, on September 9, 2002:–

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2002

(U.P. ACT No. 11 of 2002)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

IT IS HEREBY enected in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:–

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2002. Short title and commencement

(2) Sections 2, 3, 4, and 5, shall be deemed to have come into force on 21, 2002, section 9 shall be deemed to have come into force on July 18, 2002, sec 6, 7, 8, and 10 shall come into force on July 20, 2002 and the remaining provi shall come into force at once.

Amendment of section 122-B of U.P. Act no. 1 of 1951

2. In section 122-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and I Reforms Act, 1950, hereinafter *referred* to as the principal Act,–

(a) in sub-section (3) *for* the words "three months" the words "t days" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (4-F),–

(i) for the word and figures "June 3, 1995" the word and fig "May 1, 2002" shall be *substituted;*

(ii) for the words and figures, "it shall be deemed that he has b admitted as bhumidhar with non-transferable rights of that land un section 195," the words and figures "he shall be admitted bhumidhar with non-transferable rights of that land under section 1 and it shall not be necessary for him to institute a suit for declaration his rights as bhumidhar with non-transferable rights in that land" sh be *substituted.*

Amendment of section 123

3. In section 123 of the principal Act in sub-section (1) *for* the word a figures "June 3, 1995", the word and figures "May 1, 2002" shall be *substituted.*

Amendment of section 157-AA

4. In section 157-AA of the principal Act, *after* sub-section (4), the followi sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(5) A transferee of land under sub-section (1) shall have no right transfer the land by way of sale, gift, mortgage or lease before the expiry of period of ten years from the date of transfer in his favour."

Amendment of section 157-BB

5. In section 157-BB of the principal Act, *after* sub-section (4), the followin sub-section shall be *inserted,* namely :–

"(5) A transferee of land under sub-section (1) shall have no right t transfer the land by way of sale, gift, mortgage or lease before the expiry of period of ten years from the date of transfer in his favour."

Amendment of section 195

6. In section 195 of the principal Act *for* the words "Assistant Collecto incharge of the sub-division" wherever occurring, the word "Tahsildar" shall be *substituted.*

Amendment of section 197

7. In section 197 of the principal Act *for* the words "Assistant Collector incharge of the sub-division" wherever occurring, the word "Tahsildar" shall be *substituted.*

Amendment of section 198

8. In section 198 of the principal Act,–

(a) in sub-section (4), *for* the word "Collector," the word "Assistant Collector incharge of the sub-division," shall *substituted;*

(b) after sub-section (4) the following sub-section shall be *inserted,* namely:–

"(4-A) The Collector may on his own motion or on the application of any aggrieved person call for the record of any suit or proceeding under sub-section (4) decided by the Assistant Collector incharge of the sub-division for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any order passed in such suit or proceedings and if such Assistant Collector incharge of the sub-division appears to have—

(i) exercised a jurisdiction not vested in it by law; or

(ii) failed to exercise a jurisdiction so vested; or

(iii) acted in the exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity;

the Collector may pass such order in the case as he thinks fit and every order passed by the Collector under this sub-section shall be final ;

(c) in sub-section (7), *for* the word "Collector", the words "Assistant Collector incharge of the sub-division" shall be *substituted;*

(d) for sub-section (8) the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(8) Every order made by the Assistant Collector incharge of the sub-division under sub-section (4) shall subject to the provisions of sub-section (4-A) be final."

Amendment of section 198-A

9. In section 198-A of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 *after* sub-section (1), the following sub-sections shall be *inserted,* namely :—

"(1-A) Where any person, after being evicted under sub-section (1), re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, the Assistant Collector shall, without prejudice to the proceeding under sub-section (2), direct such person to pay such damages to the allottee as he thinks fit considering the location and potentiality of the land and such other factors as may have bearing on the subject :

Provided that the amount of the damages shall not be less than five thousand rupees and not more than fifteen thousand rupees per hectare per year.

(1-B) A person aggrieved by an order the Assistant Collector under sub-section (1-A) may, within thirty days of such order, prefer an appeal before the Collector in such manner as may be prescribed and the order of the Collector shall be final.

(1-C) If the person directed to pay damages by the Assistant Collector under sub-section (1-A) or, by the Collector if an appeal is preferred under sub-section (1-B), fails to pay the same within the time fixed by the Assistant Collector or the Collector, as the case may be, it shall be recovered as arears of land revenue and paid to the allottee."

Amendment of section 333

10. In section 333 of the principal Act, in sub-section (1), *after* the words "may call for the record of any suit or proceeding", the words "other than proceeding under sub-section (4-A) of section 198" shall be *substituted.*

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 4 of 2002, U.P. Ordinance no. 15 of 2002, U.P. Ordinance no. 16 of 2002

11. (1) The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 2002, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Second Amendment) Ordinance, 2002 and the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Third Amendment) Ordinance, 2002 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
A.B. SHUKLA,
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to securing the interests of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and landless agricultural labourers it was decided to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 to make the provisions as stated below :—

(1) To reduce the time from three months to thirty days of the show cause notice with a view to evicting wrongful occupation on the land vested in a Gaon Sabha or a local authority under section 122-B.

(2) Sub-section (4-F) of section 122-B provides that where any agricultural labourer belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe is in occupation of any land vested in a Gaon Sabha under section 117 (not being the land mentioned in section 132) having occupied it from before June 3, 1995 and the land so occupied together with land if any held by him from before the said date as bhumidhar, sirdar or assami does not exceed 1.26 hectares then no action under the said section shall be taken by the Land Management Committee or the Collector against such labourer and it shall be deemed that he has been admitted as bhumidhar with non-transferable rights of that land under section 195. To extend the said date from June 3, 1995 to May 1, 2002.

(3) Section 123 provides that where any person referred to in sub-section (3) of section 122-C has built a house on any land referred to in sub-section (2) of section 122-C or on any land held by a tenure holder and such house exists on June 3, 1995 the site of such house shall be held by the owner of the house in the case of the land referred to in sub-section (2) of section 122-C or shall be deemed to be settled with the owner of the house by the tenure holder in the case of the land held by a tenure holder. To extend the said date from June 3, 1995 to May 1, 2002.

(4) To impose restriction on transfer of land by a transferee belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes before expiry of the period of ten years from the date of transfer of such land in his favour under section 157-AA or section 157-BB respectively.

(5) To empower the Assistant Collector incharge of the sub-division to admit himself any persons as bhumidhar with non-transferable rights to any land referred to in sub-section (1) of section 195 or to admit any person as assami to any land referred to in section 197 in certain circumstances.

(6) To include charitable intitutions and educational institutions established by a person belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in the order of preference in admitting persons to land under sections 195 and 197.

2. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance no. 4 of 2002) was promulgated by the Governor on June 21, 2002.

3. Section 198-A of the aforesaid Act provides for the restoration of possession to the allottees of Gaon Sabha or Government lessees by the Assistant Collector by using such force as he considers necessary and for punishment with imprisonment for a term which may extend to two years and also with fine which may extend to three thousand rupees to the persons who re-occupy the evicted land. It was brought to the notice of the State Government that inspite of the said provisions the possession was not restored to a large number of socially and economically backward persons. It was, therefore, decided to amend the said section to provide that where any person after being evicted re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, the Assistant Collector shall direct such person to pay such damages, which shall not be less than five thousand rupees and more than fifteen thousand rupees per hectare per year, as he thinks fit. Any person aggrieved by the order of the Assistant Collector may within thirty days of such order prefer an appeal before the collector whose order shall be final. If any person does not pay damages directed by the Assistant Collector or the Collector in appeal within the fixed time it shall be recovered as arrears of land revenue.

4. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the decision referred to in para-3 above, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Second Amendment) Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance no. 15 of 2002) was promulgated by the Governor on July 18, 2002.

5. The Land Management Committee shall have right under section 195 and 197 to admit with the previous approval of the Assistant Collector incharge of the sub-division any person as bhumidhar with non-transferable right to any land being in any of the classes mentioned in section 132 and as assami to any land falling in any of the classes mentioned in section 132. In admitting any person to any land the order of preference given in section 198 is being observed. It was brought to the notice of the State Government that in spite of the said provisions most of the allotments or leases made by the Land Management Committees were generally become disputed and the allottees had to file suit before the Collector and if they did not get justice or for redressal of mistakes they have to file appeal or revision before the Additional Commissioner, Commissioner or Revenue Board consequent upon which they have to face economic and practical difficulties. It was, therefore, decided to amend the aforesaid Act to empower the Tahsildar in place of Assistant Collector incharge of the sub-division to accord prior approval for admission of any person to any land and Assistant Collector incharge of the sub-division in place of Collector to cancel any allotment or lease.

6. Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the decision referred to in para 5 above, the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Third Amendment) Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance no. 16 of 2002) was promulgated by the Governor on July 20, 2002.

7. Thereafter it was decided that the provisions relating to the following amendments in the aforesaid Act shall be *omitted*:–

(a) extension of the period of building a house on any land held by a tenure holder by amending sub-section (2) of section 123;

(b) empowering the Assistant Collector incharge of the sub-division to admit any person as bhumidhar with non-transferable right under section 195 or as asami under section 197 by inserting sub-section (2) of section 195 and sub-section (3) of section 197;

(c) inclusion of a charitable institution and an educational institution established by a person belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes in order of preference in admitting the land to any person under section 195 or 197 by inserting clause (cc) and substituting clause (h) of sub-section (1) of section 198.

8. This bill is instroduced to replace the aforesaid Ordinances with the aforesaid amendments.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 165 सा० विधा०–(1303)–2002–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 556 राजपत्र–(1302)–2002–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।